रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 15, 1994/चैत्र 25, 1916
No. 164] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 15, 1994/CHAITRA 25, 1916

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1994

सं० 110 सीमाशुल्क/94

सा. का. नि. 387 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि, ऐसे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में और संशोधित किया जाएगा :—

सारणी

| क्रम सं. | अधिसूचना संख्यांक और तारीख | संशोधन |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 13—सीमा शुल्क, तारीख 9 फरवरी, 1981 | उक्त अधिसूचना में,— (2) शर्त (5) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :— |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | "(5) इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित किया जाता है कि विकास आयुक्त वा बोर्ड द्वारा उक्त यूनिट को समय-समय पर यथासंशोधित वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 1—आई. टी. सी. (पी एन)/92—97, तारीख 31-3-1992 के अधीन प्रकाशित आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1992—मार्च, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त आयात-निर्यात नीति कहा गया है) के अनुसार भारत में किसी अन्य स्थान को उक्त माल में से किसी माल को ले जाने के लिए निकासी करने की अनुज्ञा दी गई है — |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (क) पूंजीगत माल, सामग्री, उठाई-धराई उपस्करों, कार्यालय उपस्करों और बद्ध, विद्युत् संयंत्रों की ऐसी निकासी ऐसे माल पर उसके अवक्षयित मूल्य पर और ऐसा शुल्क संदाय करने की तारीख को प्रवृत्त दर पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के बराबर रकम का संदाय करने पर अनुज्ञात की जा सकेगी; | | | (ii) शर्त (6) में "आयात और निर्यात नीति" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "निर्यात नीति कहा गया है)" शब्दों और कौष्ठक से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "उक्त आयात और निर्यात नीति" शब्द रखे जाएंगे । |
| | | (ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल की (जिसके अंतर्गत बार-बार उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त अंतर्वेष्टक भी है) निकासी आयात के समय उसके मूल्य पर और ऐसा सीमाशुल्क संदाय करने की तारीख को प्रवृत्त दरों पर सीमाशुल्क का संदाय करने पर अनुज्ञात की जा सकेगी; | 2. (क) 95 सीमाशुल्क/93 तारीख 2 मार्च, 1993 (ख) 96 सीमाशुल्क/93 तारीख 2 मार्च, 1993 | उक्त प्रत्येक अधिसूचना में शर्त (7) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी; अर्थात् :— | "(7) इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किन्हीं प्रभाव डाले बिना, जहां सीमाशुल्क सहायक कलक्टर को समाधानप्रद रूप में यह वर्णित किया जाता है कि उक्त यूनिट को, पदाभिहित अधिकारी या समिति द्वारा निर्यात और आयात नीति के अनुसार भारत में किसी अन्य स्थान को उक्त माल में से किसी माल को ले जाने के लिए निकासी करने की अनुज्ञा दी गई है :— |
| | | (ग) उपयोग की गई पैकिंग सामग्री, जैसे बार-बार उपयोग के लिए अनुपयुक्त किस्म के कार्डबोर्ड बक्से, पॉलिथिलीन थैलों की ऐसी निकासी किसी सीमा-शुल्क का संदाय किए बिना, अनुज्ञात की जा सकेगी : | | | (क) पूंजीगत माल सामग्री, उठाई-धराई उपस्करों, कार्यालय उपस्करों और बद्ध विद्युत् संयंत्रों की ऐसी निकासी ऐसे माल पर उसके अवक्षयित मूल्य के आधार पर और ऐसा शुल्क संदाय करने की तारीख को प्रवृत्त दर पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के बराबर रकम का संदाय करने पर अनुज्ञात की जा सकेगी; |
| | | परन्तु आयातकर्ता, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 59) की पहली अनुसूची के शीर्ष 98.01 के अंतर्गत आने वाले माल को लागू छूट या निर्यात-आयात नीति के अनुसार निर्यात संवर्द्धन पूंजी माल स्कीम या किसी अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के अधीन आयातित माल की उपलब्ध छूट प्राप्त करने का पात्र होगा । | | | (ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल की निकासी (जिसके अंतर्गत बार-बार उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त अंतर्वेष्टक भी है) |
| | | स्पष्टीकरण :—खंड (क) के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत अवक्षयण, यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से या जहां ऐसे माल का आयात ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किया गया है वहां उस तारीख से, जिसको ऐसे माल का उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया गया है, शुल्क के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । | | | आयात के समय उसके मूल्य पर और ऐसा सीमाशुल्क संदाय करने की तारीख को प्रवृत्त दरों पर सीमाशुल्क का संदाय करके अनुज्ञात की जा सकेगी ; |
| | | | | | (ग) उपयोग की गई पैकिंग सामग्री जैसे बार-बार उपयोग के लिए अनुपयुक्त किस्म के कार्ड-बोर्ड बक्से, पोलिथिलीन थैलों की ऐसी निकासी, किसी सीमा-शुल्क का संदाय किए बिना अनुज्ञात की जा सकेगी; |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | परंतु आयातकर्ता, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 59) की पहली अनुसूची के शीर्ष 98.01 के अंतर्गत आने वाले माल को लागू छूट या निर्यात-आयात नीति के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या किसी अन्य निर्यात—संवर्धन स्कीम के अधीन आयातित माल को उपलब्ध छूट प्राप्त करने का पात्र होगा ।<br><br>स्पष्टीकरण :—खंड (क) के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत अवधारण, यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से या जहां ऐसे माल का आयात ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किया गया है, वहां उस तारीख से, जिसको ऐसे माल का उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया गया है शुल्क के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा" । |
| 3. | 138-सीमाशुल्क/91 तारीख 22 अक्तूबर 1991 | उक्त अधिसूचना में,—<br>(i) शर्त (6) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—<br>"(6) इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित किया जाता है कि स्थायी समिति द्वारा उक्त यूनिट को, समय-समय पर यथासंशोधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आई टी सी (पी एन)/92—97, तारीख 31-3-1992 के अधीन प्रकाशित आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1992—मार्च, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त आयात-निर्यात नीति कहा गया है) के अनुसार भारत में किसी अन्य स्थान को उक्त माल में से किसी माल को ले जाने के लिए निकासी करने की अनुज्ञा दी गई है—<br>(क) पूंजीगत माल, सामग्री, उठाई-धराई उपस्करों, कार्यालय उपस्करों और अद्र विद्युत संयंत्रों की ऐसी निकासी ऐसे माल पर उसके अवक्षयित मूल्य के आधार पर और ऐसा शुल्क संदाय करने की तारीख को प्रवृत्त दर पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के बराबर रकम का संदाय करने पर अनुज्ञात की जा सकेगी;<br>(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल की (जिसके अंतर्गत बार-बार उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त अंतःस्थापक भी है) निकासी आयात के समय उसके मूल्य पर और ऐसा सीमाशुल्क संदाय करने की तारीख को प्रवृत्त दरों पर सीमाशुल्क का संदाय करने पर अनुज्ञात की जा सके<br>(ग) उपयोग की गई पैकिंग सामग्री जैसे बार-बार उपयोग के लिए अनुपयुक्त किस्म के कार्ड बोर्ड बक्से, पॉलिथिलीन थैलों की ऐसी निकासी किसी सीमाशुल्क का संदाय किए बिना, अनुज्ञात की जा सकेगी;<br>परंतु आयातकर्ता, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 59) की पहली अनुसूची के शीर्ष 98.01 के अंतर्गत आने वाले माल को लागू छूट या निर्यात-आयात नीति के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या किसी अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के अधीन आयातित माल को उपलब्ध छूट प्राप्त करने का पात्र होगा ।<br><br>स्पष्टीकरण :—खंड (क) के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत अवधारण यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से या जहां ऐसे माल का आयात ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किया गया है वहां उस तारीख से, जिसको ऐसे माल का उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया गया है, शुल्क के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।<br>(ii) शर्त (7) में "आयात और निर्यात नीति, अप्रैल 1990—मार्च, 1993" शब्दों के स्थान पर "उक्त आयात और निर्यात नीति" शब्द रखे जाएंगे । |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 4. | 140—सीमाशुल्क/91, तारीख 22 अक्तूबर, 1991 | उक्त अधिसूचना में,—<br>(i) शर्त 6 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—<br>"(6) इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित किया जाता है कि स्थायी समिति द्वारा उक्त यूनिट को, समय-समय पर यथासंशोधित वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना सं. 1—आई टी सी (पी एन)/92—97, तारीख 31-3-1992 के अधीन प्रकाशित आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1992—मार्च, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त आयात-निर्यात नीति कहा गया है) के अनुसार भारत में किसी अन्य स्थान को उक्त माल में से किसी माल को ले जाने के लिए निकासी करने की अनुज्ञा दी गई है,—<br>(क) पूंजीगत माल, सामग्री, उठाई-धराई उपस्करों, कार्यालय उपस्करों और बड़ विद्युत् सयंत्रों की ऐसी निकासी ऐसे माल पर उसके अवक्षयित मूल्य के आधार पर और ऐसा शुल्क संदाय करने की तारीख को प्रवृत्त दर पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के बराबर रकम का संदाय करने पर अनुज्ञात की जा सकेगी;<br>(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल की (जिसके अंतर्गत बार-बार उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त अंतर्वेष्टक भी हैं) निकासी आयात के समय उसके मूल्य पर और [illegible] ऐसा सीमाशुल्क संदाय करने की तारीख को प्रवृत्त दरों पर सीमाशुल्क का संदाय करने पर अनुज्ञात की जा सकेगी;<br>(ग) उपयोग की गई पैकिंग सामग्री, जैसे बार-बार उपयोग के लिए अनुपयुक्त किस्म के गत्ते के डिब्बे, बक्से, पोलिथिलिन थैलों की ऐसी निकासी किसी सीमाशुल्क का संदाय किए बिना, अनुज्ञात की जा सकेगी,<br>परंतु आयातकर्ता, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 59) की पहली अनुसूची के शीर्ष 98.01 के अंतर्गत आने वाले माल को लागू छूट या निर्यात-आयात नीति के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या किसी अन्य निर्यात संवर्धन स्कीम के अधीन आयातित माल को उपलब्ध छूट प्राप्त करने का पात्र होगा।<br>स्पष्टीकरण :—खंड (क) के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत अवक्षयण, यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से या जहां ऐसे माल का आयात ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किया गया है वहां उस तारीख से, जिसको ऐसे माल का उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया गया है, शुल्क के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।<br>(ii) शर्त (7) में आयात और निर्यात नीति" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और निर्यात नीति कहा गया है ("शब्दों और कोष्ठक से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "उक्त आयात और निर्यात नीति" शब्द रखे जाएंगे। |

[फा. सं. 305/206/92-एफ टी टी]

राजीव शर्मा, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 1994

NO. 110—CUSTOMS/94

G.S.R. 387 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further

amended, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :—

TABLE

| Sl. No. | Notification No. and date | Amendments |
|---|---|---|
| 1. | 13—Cus/81, dated the 9th February, 1981. | In the said Notification,—<br>(i) for condition (5), the following condition shall be substituted, namely :—<br>"(5) Without prejudice to any other provisions contained in this notification, where it is shown to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the said unit has been allowed by the Development Commissioner or the Board to clear any of the said goods for being taken to any other place in India in accordance with the Export Import Policy, April, 1992—March, 1997 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC (PN)/92-97 dated 31-3-1992, as amended from time to time (hereinafter in this notification referred to as the said Export and Import Policy),—<br>(a) such clearance of capital goods, material handling equipments, office equipments and captive power plants may be allowed on payment of an amount equal to the cumstoms duty leviable on such goods on the depreciated value thereof and at the rate in force on the date of payment of such duty;<br>(b) such clearance of goods (including containers, suitable for repeated use) other than those specified in clause (a), may be allowed on payment of customs duty on the value at the time of import and at rates in force on the date of payment of such customs duty;<br>(c) such clearance of used packing materials such as cardboard boxes, polythelene bags of a kind unsuitable for repeated use may be allowed without pay-payment of any customs duty;<br>Provided that the importer shall not be eligible to avail of the exemption applicable to goods falling under heading 98.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (59 of 1975), or the exemption available to goods imported under [the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme in terms of the Export and Import Policy or any other Export Promotion Schemes.<br>Explanation :—The depreciation in respect of goods covered by clause (a) shall be allowed for the period from the date of commencement of commercial production of the unit or where such goods have been imported after such commencement, from the date such goods have come into use for commercial production, upto the date of payment of duty.<br>(ii) in condition (6), for the portion beginning with the words "Export and Import Policy" and ending with the words and bracket "and Import Policy)", the words "the said Export and Import Policy" shall be substituted. |
| 2. (a) 95—Cus/93, dated the 2nd March, 1993.<br>(b) 96—Cus/93, dated the 2nd March, 1993. | | In each of the said notifications for condition (7), the following condition shall be substituted, namely :—<br>"(7) Without prejudice to any other provisions contained in this notification, where it is shown to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the said unit has been allowed by the designated officer or the Committee |

| 1 | 2 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|
| | | to clear any of the said goods for being taken to any other place in India in accordance with the Export and Import Policy,—<br><br>(a) such clearance of capital goods, material handling equipments, office equipments and captive power plants may be allowed on payment of an amount equal to the customs duty leviable on such goods on the depreciated value thereof and at the rate in force on the date of payment of such duty;<br><br>(b) such clearance of goods (including containers, suitable for repeated use) other than those specified in clause (a) may be allowed on payment of customs duty on the value at the time of import and at rates in force on the date of payment of such customs duty;<br><br>(c) such clearance of used packing materials such as cardboard boxes, polythelene bags of a kind unsuitable for repeated use may be allowed without payment of any customs duty;<br><br>Provided that the importer shall not be eligible to avail of the exemption applicable to goods falling under heading 98.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (59 of 1975), or the exemption available to goods imported under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme in terms of the export and Import Policy or any other Export Promotion Schemes.<br><br>Explanation :—The depreciation in respect of goods covered by clause (a) above shall be allowed for the period from the date of commencement of commercial production of the unit or where such goods have been imported after such commencement from the date such goods have come into use for commercial production upto the date of payment of duty." |
| | 3. 138—Cus/91, dated the 22nd October, 1991 | In th said notification,—<br>(i) for condition (6), the following condition shall be substituted, namely :—<br>"(6). Without prejudice to any other provisions contained in this notification, where it is shown to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the said unit has been allowed by the standing Committee to clear any of the said goods for being taken to any other place in India in accordance with the Export - Import Policy, April, 1992—March, 1997 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1 -ITC (PN)/92 — 97 dated 31-3-1992, as amended from time to time (hereinafter in this notification referred to as the said Export and Import Policy),—<br><br>(a) such clearance of capital goods, material handling equipments, office equipments and ccaptive power plants may be allowed on payment of an amount equal to the customs duty leviable on such goods on the depreciated value thereof and at the rate in force on the date of payment of such duty;<br><br>(b) such clearance of goods (including containers, suitable for repeated use) other than those specified in clause (a) may be allowed on payment of customs duty on the value at the time of import and at rates in force on the date of payment of such customs duty;<br><br>(c) such clearance of used packing materials such as cardboard boxes, polylythelene bags of a |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | kind unsuitable for repeated use may be allowed without payment of any customs duty;<br><br>Provided that the importer shall not be eligible to avail of the exemption applicable to goods falling under heading 98.01 of the First Schecule to the customs Tariff Act, 1975 (59 of 1975), or the exemption available to goods imported under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme in terms of the Export and Import Policy or any other Export Promotion Schemes.<br><br>Explanation :—The depreciation in respect of goods covered by clause (a) shall be allowed for the period from the date of commencement of commercial production of the unit or where such goods have been imported after such commencement from the date such goods have come into use for commercial production, upto the date of payment of duty."<br><br>(ii) in condition (7), for the words "Import and Export Policy April, 1990—March, 1993," the words "the said Export and Import Policy" shall be substituted. |
| 4. 140—Cus/91, dated the 22nd October, 1991 | | In the said notification,<br>(i) for condition 6, the following condition shall be substituted, namely :—<br><br>"6. Without prejudice to any other provisions contained in this notification, where it is shown to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the said unit has been allowed by the Standing Committee to clear any of the said goods for being taken to any other place in India in accordance with the Export Import Policy, April, 1992—March, 1997 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC (PN)/92-97, dated 31-3-1992, as amended from time to time (hereinafter in this notification referred to as the said Export and Import Policy),—<br><br>(a) such clearance of capital goods, material handling equipments, office equipments and captive power plants may be allowed on payment of an amount equal to the customs duty leviable on such goods on the depreciated value thereof and at the rate in force on the date of payment of such duty;<br><br>(b) such clearance of goods (including containers, suitable for repeated use) other than those specified in clause (a) may be allowed on payment of customs duty on the value at the time of import and at rates in force on the date of payment of such customs duty;<br><br>(c) such clearance of used packing materials such as cardboard boxes, polythelene bags of a kind unsuitable for repeated use may be allowed without payment of any customs duty.<br><br>Provided that the importer shall not be eligible to avail of the exemption applicable to goods falling under heading 98.01 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (59 of 1975), or the exemption available to goods imported under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme in terms of the Export and Import Policy or any other Export Promotion Schemes. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | Explanation :—The depreciation in respect of goods covered by clause (a) shall be allowed for the period from the date of commencement of commercial production of the unit or where such goods have been imported after such commencement, from the date such goods have come into use for commercial production upto the date of payment of duty. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | (ii) in condition (7), for the portion beginning with words "Import and Export Policy" and ending with the words and bracket "and Export Policy)", the words "the said Export and Import Policy" shall be substituted. |

[F. No. 305/206/92-FTT]
RAJIV SHARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994